न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. :– 24 / 2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 24

अपीलार्थी :–

जवरीलाल पुत्र स्व0 हरलाल जी, जाति विश्नोई, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम फींच,तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. हडमानराम पुत्र स्व0 हरलाल
2. मांगीलाल पुत्र स्व0 हरलाल
3. पेमाराम पुत्र स्व0 हरलाल
4. श्रीमती हेमली पत्नी स्व0 हरलाल
5. राकेश पुत्र स्व0 शैतानराम
6. विशाल पुत्र स्व0 शैतानराम
7. श्रीमती ओमी देवी पत्नी स्व0 शैतानराम
   जातियान् विश्नोई, निवासीगण ग्राम फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। (रेस्पोडेन्ट संख्या 06 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता रेस्पोडेन्ट संख्या 07 श्रीमती ओमी देवी)
8. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 463 दिनांक 17.05.1984 ग्राम फीच, तहसील लूणी (तत्कालीन तहसील जोधपुर) जिला जोधपुर, जो उप तहसीलदार लूणी के द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री पी0 आर0 विश्नोई (अपीलार्थी)।
2. रेस्पोडेन्ट्स नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– 25.02.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत उप तहसीलदार लूणी द्वारा ग्राम फींच के नामान्तरकरण संख्या 463 पर पारित आदेश दिनांक 17.5.1984 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 12.3.2020 को 35 वर्ष बाद पेश की गई है तथा अपील के साथ अपील पेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:22 IST
Reason: SelfAttested

करने में हुई देरी को कन्डोन करने का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5 म्याद एक्ट पत्र मय शपथ–पत्र भी पेश किया गया है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए तथा तहसीलदार लूणी से मूल नामान्तरकरण संख्या 463 मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण संख्या 5, 6, 7 की ओर से श्री एस0 के0 भादू अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 स्वयं पर नोटिस तामिल हुए है तथा प्रत्यर्थी संख्या 3, 4 के नोटिस परिवार के वयस्क सदस्यों पर तामिल हुए है परन्तु बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे है अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम फींच, तहसील लूणी (पूर्व में तहसील जोधपुर) का खसरा संख्या 101 रकबा 15–15 बीघा तथा खसरा नम्बर 181 रकबा 41–16 बीघा की कुल भूमि 57–14 बीघा भूमि हरलाल, पपाराम, पोकरराम पिता गंगाराम की संयुक्त खातेदारी में थी। हरलाल के फौत होने पर दिनांक 12.5.1984 को ग्राम फींच का नामान्तरकरण संख्या 463 खोला जाकर उप तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 17.5.1984 को प्रत्यर्थी हड़मानराम, मांगीलाल, पेमाराम, शैतानराम पुत्रान् हरलाल व हेमली पत्नी हरलाल के नाम स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट का कथन है कि वह स्वर्गीय हरलाल का जायन्दा पुत्र है, फिर भी नामान्तरकरण में उसका नाम छोड़ा गया है तथा सही जांच नहीं की जबकि उत्तराधिकार कानून के अनुसार उसका हरलाल की सम्पत्ति में बराबर का हिस्सा है तथा वह मौके पर काबिज काश्त है। दिनांक 16.2.2020 को वह पटवारी के पास रिकॉर्ड की नकल लेने गया तब उसे उसका नाम रिकॉर्ड में नहीं होने की जानकारी सर्वप्रथम मिली। जानकारी की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश है। देरी सद्भाविक रूप से हुई है। अपील स्वीकार की जावें।

4. अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 03.02.2025 को सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री पी. आर. विश्नोई ने बहस करते हुए अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराया तथा कथन किया कि अपीलान्ट हरलाल का जायन्दा पुत्र है। हरलाल के फौत होने पर कानूनन उसका नाम रिकॉर्ड में अन्य वारिसान् के साथ दर्ज होना चाहिए था, परन्तु बिना जांच ही नामान्तरकरण खोलकर अपीलान्ट का नाम छोड़ दिया है अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार लूणी को प्रतिप्रेषित किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:22 IST
Reason: SelfAttested

निर्देश दिए जावे कि वह हरलाल के सभी कानूनी वारिसान् की सही जांच कर नामान्तरकरण से रिकॉर्ड में नाम दर्ज करे। प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित रहे तथा बहस में हिस्सा नहीं लिया।

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस के कथनों पर मनन किया तथा विधिक प्रावधानों का परिशीलन किया।

(A) तहसीलदार लूणी से प्राप्त मूल नामान्तरकरण संख्या 463 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम फींच का खसरा संख्या 101 रकबा 15–18 बीघा, खसरा नम्बर 181 रकबा 41–16 बीघा, कुल भूमि 57–14 बीघा हरलाल, पपाराम, पोकरराम पिता गंगाराम के नाम खातेदारी में दर्ज है। हरलाल के फौत होने पर विवादित नामान्तरकरण संख्या 463 प्रत्यर्थी हड़मानराम, मांगीलाल, पेमाराम, शैतानराम व हेमली के नाम दिनांक 17.5.1984 को उप तहसीलदार लूणी द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट जवरीलाल अपने आपको स्वर्गीय हरलाल का जायन्दा पुत्र बताता है।

(B) प्रत्यर्थीगण पर भेजे गए नोटिस तहसील लूणी के मार्फत तामिल होकर प्राप्त हुए है तथा शैतानराम के पुत्र/पत्नी की ओर से श्री एस. के. भादू अधिवक्ता ने वकालतनामा भी पेश किया है, परन्तु ऐसा कोई लिखित जवाब पेश नहीं किया तथा न ही अन्य प्रत्यर्थीगण ने उपस्थित होकर अपीलान्ट के अभिकथनों का खण्डन किया है।

(C) अपीलान्ट ने यह अपील 17.05.1984 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 12.03.2020 को 35 वर्ष बाद पेश की है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम, 1963 पेश किया है तथा साथ में शपथ–पत्र भी पेश किया है। हमने इस प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र का अवलोकन कर परीक्षण किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सी. पी. सी. के प्रावधानों अनुसार सत्यापित नहीं है तथा राजस्व विभाग द्वारा नियुक्त ऑथ कमिश्नर या नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित भी नहीं है।

इसी प्रकार प्रार्थना–पत्र के संलग्न शपथ–पत्र भी ओथ कमिश्नर/नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित नहीं है तथा न ही इनके रजिस्टरों में दर्ज है। मात्र जवरीलाल के ह[illegible] श्री [illegible] बिश्नोई एडवोकेट के हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:22 IST
Reason: SelfAttested

किए हुए है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व संलग्न शपथ–पत्र अप्रमाणित शपथ–पत्र में अंकित कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

एक क्षण के लिए प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों को मान भी लिया जावे, तो भी वे संतोषजनक कारण नहीं है। प्रार्थना–पत्र के अनुच्छेद तीन में केवल एक ही कारण लिखा है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 463 की जानकारी हाल ही में दिनांक 16.02.2020 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल ऋण प्राप्त करने हेतु लेने पर हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी।

अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। यह कथन विश्वास करने योग्य नहीं है।

अपीलान्ट अपने अन्य भाईयों व सहखातेदारों के साथ विवादित भूमि पर काबिज काश्त होना बताता है। चूंकि यह अपील बहुत ही देरी से 35 वर्ष बाद पेश हुई है।

(D) उक्त लम्बी अवधि के दौरान राजस्व अभिलेखों के इन्द्राजों में आमूल–चूल परिवर्तन होने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता। चूंकि अपीलान्ट के पिता हरलाल के साथ, हरलाल के भाई पपाराम व पोकरराम का भी नाम दर्ज है अतः समय की रफ्तार के साथ आराजी का विभाजन, बेचान, विरासत के माध्यम से राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन की स्वाभाविक शंकाओं को दूर करने एवं वर्तमान अभिलेखीय स्थिति से अवगत होने हेतु हमने ग्राम फींच के खसरा नम्बर 101 व 181 से सम्बन्धित जानकारी राजस्व अभिलेखों से प्राप्त की। जिसके अनुसार ग्राम फींच से एक नया राजस्व ग्राम हमीर नगर सृजित हुआ है। खसरा नम्बर 101 की भूमि मूल ग्राम फींच में है तथा खसरा नम्बर 181 की भूमि नव सृजित गांव हमीरनगर में है।

हमने वर्तमान राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया, स्थिति निम्नानुसार पाई गई :–

(a) खसरा संख्या 101 रकबा 15–18 बीघा से सम्बन्धित भूमि वर्तमान में ग्राम फींच की जमाबन्दी 2074–2077 में इस प्रकार दर्ज है :–

क्रम संख्या	खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारान
1.	204	101	5.79 है.	पपाराम पुत्र गंगाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:22 IST
Reason: SelfAttested

2.	240	958 / 101	0.8579 है.	पोकरराम पुत्र गंगाराम
3.	550	959 / 101	0.8579 है.	हड़मानराम पुत्र हरलाल पेमाराम पुत्र हरलाल मांगीलाल पुत्र हरलाल हेमली पत्नी हरलाल विशाल पुत्र शैतानराम राकेश पुत्र शैतानराम ओमीदेवी पत्नी शैतानराम सोहनीदेवी पत्नी सोनाराम
		योग	2.5737 है. 15–18 बीघा	

(b) खसरा नम्बर 181 रकबा 41–16 बीघा (6.7662 हैक्टर) वर्तमान में नये राजस्व ग्राम हमीरनगर में है तथा इन्द्राज जमाबन्दी इस प्रकार है :–

क्रम संख्या	खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारान
1.	77	181	2.25 है.	पपाराम पुत्र गंगाराम
2.	86	960 / 181	2.2581 है.	पोकरराम पुत्र गंगाराम
3.	219	961 / 181	2.2581 है.	बाबूलाल विश्नोई पुत्र पपाराम राकेश पुत्र शैतानराम विशाल पुत्र शैतानराम ओमीदेवी पत्नी शैतानराम सोनाराम पुत्र पपाराम ओमाराम पुत्र हरलाल नामान्तरकरण संख्या 653 दिनांक 22.3.2024 बेचान नामान्तरकरण संख्या 607 दिनांक 15.07.2022 न्यायालय आदेश
		योग	6.7662 है. 41–16 बीघा	

(E) उपर्युक्त अभिलेखीय स्थिति से निम्न निष्कर्ष निकलते है :–

(i) खसरा नम्बर 101 की भूमि (ग्राम फींच) का सहखातेदार पपाराम, पोकरराम व हरलाल के वारिसान् के मध्य विभाजन हो चुका है तथा नक्शों में तरमीम होकर नये खसरा नम्बर 101, 958 / 101 एवं 959 / 101 सृजित हुए है।

खसरा नम्बर 959 / 101, रकबा 0.8579 हैक्टयर की भूमि हरलाल के वारिसान् प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज है तथा उसमें एक नया नाम सोहनी देवी पत्नी सोनाराम का भी दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:22 IST
Reason: SelfAttested

सोहनी देवी को इस अपील में प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित ही नहीं किया है, जो कि आवश्यक पक्षकार है।

(ii) खसरा नम्बर 181 (ग्राम हमीरनगर) का भी सहखातेदार पपाराम, पोकरराम व हरलाल के वारिसान् के मध्य विभाजन हो गया है तथा हरलाल के वारिसान् के नाम नया खसरा नम्बर 961 / 181 रकबा 2.2581 हैक्टयर दर्ज हुआ था, जिसमें भी नया इन्द्राज बाबूलाल पुत्र पपाराम, सोनाराम पुत्र पपाराम, ओमाराम पुत्र हरलाल दर्ज है, जिसके आगे नामान्तरकरण संख्या 653 बेचान दिनांक 22.3.2024 व नामान्तरकरण संख्या 607 न्यायालय आदेश दिनांक 15.07.2022 का नोट लगा हुआ है।

उक्त अभिलेखीय स्थिति के बावजूद भी अपीलार्थी ने रिकोर्डेड खातेदार बाबूलाल विश्नोई, सोनाराम व ओमाराम को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है, जो कि आवश्यक पक्षकार है।

(iii) खसरा नम्बर 101 व 181 की आराजी का विभाजन सक्षम न्यायालय के आदेश / डिक्री से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 53 के प्रावधानोनुसार किया गया है, अपीलान्ट को विवादग्रस्त आराजी में से अपना हक प्राप्त करने के लिए विभाजन आदेश / डिक्री को सक्षम न्यायालय से न्याय निर्णयन कराना होगा।

(iv) जो सहखातेदार जरिए बेचान दस्तावेजों से सहखातेदार बने है तथा जिसके जरिये क्रय की गई आराजी में उनका हित सृजित हुआ है, उसे सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य / शून्यकरणीय घोषित कराए बिना अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी में हित, अधिकार, स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता। यह कार्यवाही इस अपील में नहीं हो सकती।

(v) नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी फिस्कल प्रोसिडिंग है, जिसके जरिए उक्त विवरणों में अंकित इन्द्राजों को परिवर्तित / उपान्तरित / निरस्तीकरण इत्यादि नहीं किया जा सकता तथा न ही प्रतिप्रेषित करने पर तहसीलदार द्वारा ऐसा किया जा सकता है।

(F) उक्तानुसार वर्तमान अभिलेख की स्थिति की जानकारी अपीलान्ट को नहीं होना मानने योग्य नहीं है। अपीलान्ट सभी सहखातेदारों के साथ आराजी पर अपना कब्जा–काश्त बताता है तथा 35 वर्षो से उसको भूमि का विभाजन, बेचान इत्यादि की [illegible] नहीं होना तथा प्रथम बार सिर्फ 16.02.2020 को [illegible] कतई स्वीकार [illegible] है तथा अपीलान्ट ने देरी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:22 IST
Reason: SelfAttested

संतोषजनक ढंग से साबित नहीं किया तथा अपीलान्ट स्वयं निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार है। इस सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा H.Guruswamy & ors vs A. Krishnaiah, civil Appeal No. 317/2025 निर्णय दिनांक 08.01.2025 में प्रतिपादित सिद्धान्त पूर्णरूप से लागू होते है।

अतः अपीलान्ट द्वारा देरी कन्डोन के लिए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को सारहीन, बलहीन व असंतोषजनक होने से खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त, मेरिट के आधार पर भी पूर्व अनुच्छदों 5(E) में किए गए विवेचनानुसार अपील खारिज योग्य है। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय से वांछित उपचार नियमित वाद से प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। वर्तमान अभिलेखीय स्थिति व आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही में अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष, इस न्यायालय की अधिकारिता से परे है। फलस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य होने से अस्वीकार की जाती है।
7. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार लूणी को पुनः लौटाया जावे। पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:22 IST
Reason: SelfAttested